



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2017/आषाढ़ 27, 1939

No. 640]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2017/ASADHA 27, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

सं. 21/2017-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.931(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1), अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड(i) में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी साकनि सं. द्वारा प्रकाशित किया गया था।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	सा.का.नि. सं.
(1)	(2)	(3)
1.	56/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14-11-2002	764(अ) तारीख 14-11-2002
2.	57/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14-11-2002	765(अ) तारीख 14-11-2002
3.	49/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10-6-2003	471(अ) तारीख 10-6-2003
4.	50/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10-6-2003	472(अ) तारीख 10-6-2003
5.	20/2007-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25-4-2007	307(अ) तारीख 25-4-2007
6.	1/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6-2-2010	62(अ) तारीख 6-2-2010

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी,अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2017

No. 21/2017-Central Excise

G.S.R. 931 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) as specified in column (2) of the table below, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* corresponding number G.S.R. as specified in column(3) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

TABLE

S.No.	Notification No.	G.S.R. No.
(1)	(2)	(3)
1.	56/2002- Central Excise, dated 14-11-2002	764(E) dated 14-11-2002
2.	57/2002- Central Excise, dated 14-11-2002	765(E) dated 14-11-2002
3.	49/2003- Central Excise, dated 10-6-2003	471(E) dated 10-6-2003
4.	50/2003- Central Excise, dated 10-6-2003	472(E) dated 10-6-2003
5.	20/2007- Central Excise, dated 25-4-2007	307(E) dated 25-4-2007
6.	1/2010- Central Excise, dated 6-2-2010	62(E) dated 6-2-2010

[F.No.354/119/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

सं. 22/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. 932(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड(i) में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी सा.क.नि. सं. द्वारा प्रकाशित किया गया था।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	सा.का.नि. सं.
(1)	(2)	(3)
1.	29/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1-7-2008	490(अ) तारीख 1-7-2008
2.	30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1-7-2008	491(अ) तारीख 1-7-2008
3.	10/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27-2-2010	126(अ) तारीख 27-2-2010
4.	11/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27-2-2010	127(अ) तारीख 27-2-2010
5.	17/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 13-4-2010	319(अ) तारीख 13-4-2010

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव